



UPMP040066492026

**न्यायालय C.J.M., Mainpuri**

**पीठासीन अधिकारी- (VIMLESH SAROJ) - उ०प्र० न्यायिक सेवा - UP02379**

Criminal Misc. Cases/880/2026

उत्तर प्रदेश सरकार

बनाम

अनिल मिश्रा आदि

दिनांक 03.04.2026

अभियुक्तगण अनिल मिश्रा, गोपाल, अनुपम, नमन व कन्हैया अग्निहोत्री उर्फ नितिन अग्निहोत्री की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 203/2026 अन्तर्गत धारा-115(2), 131, 352, 351(3) बी.एन.एस. थाना कोतवाली जिला मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर बल देते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा अभियोजन अधिकारी की आख्या का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपराध प्रकृति से गंभीर व अजमानतीय है। जमानत का विरोध है।

थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्त उक्त अपराध में वांछित है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

### आदेश

अभियुक्तगण में से प्रत्येक द्वारा मुव. 25,000/-रुपए का व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा इसी राशि की एक-एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

**(विमलेश सरोज )**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

JO Code-UP 02379

आशीष प्रजापति,

पी.ए